कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।

☎ :05942 –235079, 233764 Fax,235079, Email: eecdnainitalpwd@rediffmail.com

पत्रांकः– 2023 / 18 mg दिनांकः– 3/8/19

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

विषयः– जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत प्यूड़ा इण्टर कालेज से कूल–बिरखन–सूड़ मोटर मार्ग के विस्तार हेतु 1.458 हैक्टयेर वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो के लिए लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन। (FP/UK /ROAD/ 34350/2018)

संदर्भः– नोडल अधिकारी के ऑन लाइन EDS दिनांक 13.08.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित ई0डी0एस0 दिनांक 13.08.2019 द्वारा "Please send rectified eds as hard copy with corrected annexure" आपत्ति लगायी गयी है, जबकि नोडल अधिकारी देहरादून के पूर्व ई0डी0एस0 दिनांक 15.07.2019 एवं भारत सरकार के पत्र दिनांक 02.07.2019 द्वारा छः बिन्दुओं पर चाही गयी आख्या बिन्दुवार तैयार कर मय संलग्नक सहित चार–चार प्रतियों में इस कार्यालय के पत्रांक 1708/18एम0जी0 दिनांक 25.07.2019 द्वारा आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी थी (सुलभ संदर्भ हेतु उपरोक्त पत्र की छाया प्रति संलग्न है)।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

3/9/19

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।

☎ :05942 –235079, 233764 Fax,235079, Email: eecdnainitalpwd@rediffmail.com

पत्रांकः– 1708 /18 Mg दिनांकः– 25/7/19

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

विषयः– जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत प्यूड़ा इण्टर कालेज से कूल–बिरखन– सूड मोटर मार्ग का विस्तार हेतु 1.458 हैक्टेयर भूमि क़ा गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (FP/UK/ROAD/34350/2018)

संदर्भः– भारत सकरार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड़ देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/67/2019/एफ0सी0/702 दिनांक 2.7.2019 एवं आन लाईन ई0डी0एस0 दिनांक 15.07.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार तैयार कर हार्ड प्रतियों में आपको प्रेषित करते हुए आन लाईन कर निम्नानुसार प्रेषित किया जा रहा है।

कं0सं0	बिन्दु	उत्तरालेख
1	Number of tree proposed to be felled is mentioned as 265 at para 4, part II but in justification it is mentioned as 574 trees. Further in tree enumeration list it is found 374 and 433. State Government may remove this discrepancy and submit the correct detail of trees proposed to be felled in hard copy and upload the same detail online.	प्रस्तावित मोटर मार्ग में आरक्षित, वन पंचायत एवं सिविल सोयम भूमि में 374 वृक्ष तथा नापभूमि में 159 वृक्ष इस प्रकार प्रस्तावित मार्ग के समरेखण में कुल 533 वृक्ष प्रभावित होते हैं। महोदय प्रभाग स्तर से आरक्षित, वन पंचायत एवं सिविल सोयम भूमि में प्रभावित होने वाले कुल 374 वृक्षों में से 265 वृक्षों का विवरण पार्ट–2 के पैरा–4 में अंकित किया गया है, तथा 0–10 सेमी0 व्यास के 109 वृक्षों के साथ नापभूमि में प्रभावित 159 वृक्षों का विवरण आन लाईन टिप्पणी में अंकित किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु संशोधित वृक्षों की सूची का विवरण चार–चार प्रतियों में संलग्न है।
2	State Government is requested to revise the NPV calculation sheet in view of the discrepancy in number of trees.	एन0पी0वी0 का प्रमाण पत्र चार–चार प्रतियों में संलग्न कर आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।
3	Employment likely to generate during the construction of project seems incorrect. State Government may provide the correct detail at para E, part I online.	आन लाईन फार्म–ए के पैरा ई0 में पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार Permanent should be 0 (Zero)कर दिया गया है, तथा Temporary Employment should be= 15 (Total worker) x 180 (Total working of days) = 2700 सही अंकित कर दिया गया है।

4	State Government may submit original hard copy of digital map of proposed road & CA, ownership proof of CA. CF report, detailed note and NPV calculation sheet.	इस बिन्दु के अनुसार समस्त प्रपत्रों को आन लाईन करते हुए चार–चार प्रतियों में संलग्न कर आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
5	Muck Disposal plan found incomplete. State Government may submit the complete muck disposal plan.	मलुवा निस्तारण का समस्त प्रपत्र आन लाईन अपलोड कर चार–चार हार्ड प्रतियों में आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
6	लाभान्वित होने वाले दो ग्राम सतखोल एवं सतोली पूर्व से ही मुख्य मार्ग पर स्थित है तथा शेष चार ग्रामों की जनसंख्या अत्यधिक कम है। अतः राज्य सरकार समस्त ग्रामों की लोकेशन को के0एम0एल0 फाईल पर अंकित कर प्रस्तुत करें। साथ ही प्रस्तावित मार्ग मुख्य मार्ग पर स्थित दो लोकेशन को एक अन्य रूट से आपस में जोड़ रहा है, जिसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।	विषयगत प्रस्तावित मोटर मार्ग पूर्व स्वीकृत निर्मित मोटर मार्ग चौपड़ा–कूल के अंतिम भाग से प्रारम्भ होकर ग्राम विरखन, सूड,(प्यूड़ा) तोक निगराड़, कभड़ा, सतौली एवं सतखोल की भूमि से होकर प्रस्तावित की गयी है। यह सत्य है कि ग्राम सतखोल एवं सतोली पूर्व से ही मुख्य मांग से जुड़े हैं। महोदय यहां यह अवगत कराया जाना है कि ग्राम सतखोल एवं सतोली का कुछ भू–भाग इस मार्ग के समरेखण से जुड़ने के कारण ग्राम सतखोल एवं सतोली पूर्व से छुटे ग्रामवासियों को मोटर मार्ग का लाभ प्राप्त हो सकेगा, किन्तु उक्त अवशेष ग्राम बिरखन, सूड, तोक निगराड(प्यूड़ा) से कभड़ा के ग्रामवासियों को इस मोटर मार्ग का सीधा लाभ प्राप्त हो रहा है, तथा उक्त समस्त ग्रामों के ग्रामवासियों के सहमति एवं मांग के अनुसार ही इस मोटर मार्ग को प्रस्तावित किया गया है, जिसके निर्माण हेतु ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा पत्राचार तथा उच्चाधिकारियों के क्षेत्र भ्रमण में तथा स्थानीय आयोजित बैठक में मांग की जाती रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें, ताकि मोटर मार्ग का लाभ उक्त ग्रामवासियों को प्राप्त हो सके।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करते हुए संलग्न हार्ड प्रतियों को उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि वनभूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त हो सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार कुल 88 पृष्ठ।

भवदीय

25/07/19

(इं. धन सिंह कुटियाल)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल ।

पत्रांक:– 1708 /18Mg दिनांक:– 25/7/19

प्रतिलिपि तकनीकी अधिकारी, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालीय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड़ देहरादून को उनके उक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव(वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़ देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

25/07/19

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
नैनीताल।